

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1240  
सोमवार, 11 फरवरी, 2019/22 माघ, 1940 (शक)

विदेशी रोजगार हेतु पृथक स्कंध

1240. श्री जी०एम० सिद्देश्वरा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में अकुशल श्रमिकों का विदेशी रोजगार हेतु एक स्कंध विद्यमान है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त स्कंध के माध्यम से कितने अकुशल श्रमिकों को विदेशी रोजगार हेतु भेजा गया है;
- (ग) यदि नहीं, तो क्या अकुशल श्रमिकों के लिए विदेशी रोजगार हेतु पृथक स्कंध स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

- (क) से (घ) विदेश मंत्रालय में ओवरसीज इम्प्लायमेंट एण्ड प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रान्ट्स डिवीजन विदेशी रोजगार हेतु भारतीय कामगारों के उत्प्रवास के संबंध में विनियामक रूपरेखा प्रदान करता है तथा उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत उनके हितों की सुरक्षा तथा उनके संरक्षण एवं कल्याण को सुनिश्चित करता है। यह प्रभाग, अधिनियम एवं उसके तहत नियमों के माध्यम से विदेशी रोजगार हेतु भर्ती एवं भारत से उत्प्रवास चाहने वालों के प्रस्थान का विनियमन करता है। प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रान्ट्स (पीसीई), उत्प्रवास अधिनियम के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण है, जो उत्प्रवासी कामगारों के कल्याण एवं संरक्षण हेतु उत्तरदायी है।

ईसीआर पासपोर्ट-धारक भारतीय कामगारों, जो विगत तीन वर्षों के दौरान ईसीआर देशों में विदेशी रोजगार हेतु उत्प्रवास अनापत्ति प्रमाणपत्र (ईसी) प्राप्त करने के उपरांत चले गए, की संख्या अनुबंध में दी गई है।

## अनुबंध

विदेशी रोजगार हेतु पृथक स्कंध के संबंध में लोक सभा के दिनांक 11.02.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1240 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान देश-वार, ईसीआर पासपोर्ट-धारक भारतीय कामगारों को प्रदान किए गए उत्प्रवास अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की संख्या

क्र.सं.	देश का नाम	2016	2017	2018
<b>1</b>	बहरीन	<b>11964</b>	<b>11516</b>	<b>9142</b>
<b>2</b>	इंडोनेशिया	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	जॉर्डन	<b>2742</b>	<b>2341</b>	<b>1941</b>
<b>4</b>	कुवैत	<b>72384</b>	<b>56380</b>	<b>57613</b>
<b>5</b>	लेबनान	<b>316</b>	<b>110</b>	<b>109</b>
<b>6</b>	मलेशिया	<b>10604</b>	<b>14002</b>	<b>16370</b>
<b>7</b>	ओमान	<b>63236</b>	<b>53332</b>	<b>36037</b>
<b>8</b>	कतर	<b>30619</b>	<b>24759</b>	<b>34471</b>
<b>9</b>	सऊदी अरब	<b>165355</b>	<b>78611</b>	<b>72399</b>
<b>10</b>	थाईलैंड	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>11</b>	संयुक्त अरब अमीरात	<b>163716</b>	<b>149962</b>	<b>112059</b>
	कुल	<b>520938</b>	<b>391024</b>	<b>340157</b>

स्रोत: ई-माइग्रेट पोर्टल